78/47

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः योoस्थाo1/5–1/2013 2502 /योoविo,पटना, दिनांक 01 जुलाई,2014

प्रेषकः

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

पंकज कुमार
सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ
पटना

विषयः बिहार राज्य योजना पर्षद के स्वतंत्र कार्य निष्पादनार्थ सचिव पद के सृजन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1593 दिनांक 18.04.2014 द्वारा बिहार राज्य योजना पर्षद के पुनर्गठन के फलस्वरूप पर्षद के कार्य सम्पादन में स्वायत्तता प्रदान करने हेतु उक्त संकल्प की कंडिका–9 में यह प्रावधान किया गया कि योजना पर्षद के वैसे सभी मामले जिसमें सरकार से आदेश/अनुमोदन प्राप्त किए जाने की आवश्यकता होगी से संबंधित संचिका पर्षद के सचिव द्वारा सरकार के अनुमोदन हेतु भेजी जाएगी। सचिव, योजना पर्षद को विभागीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष के समतुल्य प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त होगी।

2. पूर्व में विभागीय संकल्प संख्या 1139 दिनांक 01.04.1978, संकल्प संख्या 1992 दिनांक 05.06.1969 एवं संकल्प संख्या 2273 दिनांक 09.07.1980 के द्वारा पर्षद में अस्थायी रूप से सचिव के स्वीकृत पद एवं इसके पदावधि विस्तार किया गया था, परन्तु पर्षद के पुर्नगठन से संबंधित संकल्प संख्या 2635 दिनांक 28.09.1981 के द्वारा सचिव, योजना एवं विकास विभाग को पर्षद का सदस्य–सचिव बनाए जाने के पश्चात सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद के पद का पदावधि विस्तार नहीं हो सका जबकि अन्य अस्थायी पदों के पदावधि विस्तार एवं स्थायीकरण किया गया। तदनुरूप सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा ही पर्षद के सदस्य–सचिव के रूप में सम्पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यो का निष्पादन किया जाता रहा तथा सचिव, योजना पर्षद का पद अप्रासंगिक हो गया।

3. परिवर्त्तित परिस्थिति में पर्षद के कार्य सम्पादन में स्वायत्तता प्रदान करने हेतु पर्षद में भाoप्रoसेo संवर्ग में सचिव /विशेष सचिव, विoप्रoसेo का एक पद पे–बैण्ड 4 (37400–67000) ग्रेड–पे 10000/–में सृजित किया जाता है। इस पर एक वित्तीय वर्ष में

Letter6, July, 2014

15,04,800/–रू0 (पन्द्रह लाख चार हजार आठ सौ) का व्यय संभावित है। पर्षद में स्वतंत्र कार्य निष्पादनार्थ सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद को विभागाध्यक्ष की सम्पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

4. उपर्युक्त व्यय मुख्य शीर्ष 3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएँ, मांग संख्या 35, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 101 योजना आयोग/योजना बोर्ड, उप शीर्ष 0001– बिहार राज्य योजना बोर्ड, विपत्र कोड– 3451001010001 के अन्तर्गत विकलित होगा।

5. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार राज्य योजना पर्षद के आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी होगें।

6. इसमें विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7. प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग की सहमति प्राप्त है।

8. राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 24.06.2014 की बैठक की मद सख्या–13 के रूप में सम्मिलित उपर्युक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है।

1. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

01/07/2014
(पंकज कुमार)
सचिव

ज्ञापांकः योरथा01/5–1/2013 2502 /यो0वि0,पटना,दिनांक 01 जुलाई,2014

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/उप निदेशक, बिहार राज्य योजना पर्षद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/07/2014
सचिव

ज्ञापांकः योरथा01/5–1/2013 2502 /यो0वि0,पटना,दिनांक 01 जुलाई,2014

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
योजना एवं विकास विभाग